भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4953

01 अप्रैल, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं

4953. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्रीमती अपरूपा पोद्दारः
श्री कृष्णपालसिंह यादवः
श्री सुजय विखे पाटील:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिलः
श्री राजेन्द्र धेड्या गावितः

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) कार्यक्रम के अंतर्गत और स्वास्थ्य कार्ड तथा बुनियादी चिकित्सा जांच सुविधा प्रदान करने के लिए कोई नई पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में आयुष के वर्गीकरण और ढांचागत मजबूती के लिए एनएएम के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजना के विभिन्न घटकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आयुष को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार पर्याप्त धनराशि का आवंटन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा संस्थानों को प्रायोजित किया गया है और एनएएम के अंतर्गत नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना भी की गयी है/किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत, आयुष अस्पतालों और औषधालयों में आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान हैं जिनमें जनता को बुनियादी चिकित्सा जांच सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक निदान शामिल किए जा सकते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एनएएम दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी आवश्यकता प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। हालांकि, एनएएम के मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत स्वास्थ्य कार्ड के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग): भारत सरकार देश में आयुष के विकास और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है। मिशन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान करता है जिसमें आयुष की अवसंरचना का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण शामिल है:

(i) आयुष्मान भारत के तहत आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना

(iii) मौजूदा एकल राजकीय आयुष अस्पतालों का उन्नयन

(iv) मौजूदा/नए एकल सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/स्थापना

(v) 50/30/10 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना

(vi) राज्य सरकार के स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास।

(vii) उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना, जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में आयुष को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित/जारी की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **संलग्नक-I** पर दिया गया है।

(घ) और (ड.): सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के दायरे में आती है। हालांकि, एनएएम के तहत, उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान है जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है। एनएएम के तहत, आयुष मंत्रालय ने राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, नए आयुष शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। राज्य-वार ब्यौरे **संलग्नक-II** पर दिए गए हैं।

*****

संलग्नक-I

एनएएम के तहत, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित/जारी किए गए धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	317.886	365.418	251.808	296.061	1231.172
2	आंध्र प्रदेश	1280.206	1900.594	385.402	0.000	3566.202
3	अरुणाचल प्रदेश	547.844	383.330	678.090	180.850	1790.114
4	असम	738.328	1601.322	347.150	0.000	2686.800
5	बिहार	0.000	2661.298	516.535	1686.077	4863.910
6	चंडीगढ़	52.552	0.000	195.808	10.354	258.714
7	छत्तीसगढ	1066.868	0.000	2691.066	234.480	3992.414
8	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	72.010	63.854	0.000	0.000	135.864
9	दिल्ली	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10	गोवा	146.898	118.651	65.988	218.988	550.525
11	गुजरात	1760.855	2229.691	244.011	0.000	4234.557
12	हरियाणा	1201.361	2299.475	3034.422	647.702	7182.960
13	हिमाचल प्रदेश	1907.010	2045.892	494.940	1261.800	5709.642
14	जम्मू और कश्मीर	1196.727	1848.539	2285.751	953.510	6284.527
15	झारखंड	0.000	1522.312	0.000	1309.765	2832.077
16	कर्नाटक	2688.312	1791.709	2184.371	1169.660	7834.052
17	केरल	2597.838	1540.535	2337.585	634.069	7110.027
18	लक्षद्वीप	0.000	426.878	19.605	39.156	485.639
19	**मध्य प्रदेश**	**2829.126**	**4012.347**	**5608.633**	**2479.599**	**14929.705**
20	**महाराष्ट्र**	**0.000**	**4308.643**	**0.000**	**0.000**	**4308.643**
21	मणिपुर	1231.226	907.075	571.720	170.040	2880.061
22	मिजोरम	722.739	199.510	657.720	259.080	1839.049
23	मेघालय	0.000	348.210	247.970	609.780	1205.960
24	नागालैंड	920.869	950.580	1254.890	232.270	3358.609
25	ओडिशा	1072.734	726.096	716.640	1075.380	3590.850
26	पुदुचेरी	445.520	238.416	47.667	123.968	855.571
27	पंजाब	37.451	1155.493	89.770	527.280	1809.994
28	राजस्थान	3022.174	1987.595	2276.400	3189.000	10475.169
29	सिक्किम	270.316	330.593	350.440	49.650	1000.999
30	तमिलनाडु	2326.305	1993.913	616.580	1631.454	6568.252
31	तेलंगाना	690.364	934.178	0.000	3132.252	4756.794
32	त्रिपुरा	668.670	0.000	270.080	138.710	1077.460
33	उत्तर प्रदेश	11854.151	7923.690	10373.858	7910.937	38062.636
34	उत्तराखंड	1690.281	825.340	656.458	2622.504	5794.583
35	**पश्चिम बंगाल**	**2292.419**	**1849.740**	**247.346**	**2118.045**	**6507.550**
36	लद्दाख	0.000	0.000	0.000	187.454	187.454
	कुल	**45649.040**	**49490.917**	**39718.703**	**35099.875**	**169958.535**

संलग्नक-II

2014-15 से अब तक एनएएम के तहत नए आयुष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमोदन की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्थान	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	320.00
2	कर्नाटक	मैसूर	855.38
		बिदादी होबली, रामनगर	1050.00
3	मणिपुर	केइराव, इंफाल पूर्वी जिला	460.43
4	सिक्किम	देवराली, गंगटोक	708.66
5	हरियाणा	अकेरा, नूंह जिला	800.00
		ग्राम मंगलई, अंबाला जिला	700.00
6	पश्चिम बंगाल	बेलूर स्टेट जनरल हॉस्पिटल, हावड़ा	1000.00
7	जम्मू और कश्मीर	अखनूर	255.85